ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 207-208**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

सपेरा और नट जातिः एक सामाजिक–ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ0 बी. के. लोधी
DNT Activist. Ex-Senior Fellow, ICSSR/ Ex-Deputy Secretary & Director (Research), National Commission for DNTs. भारत

Received-26.05.2025, Revised-02.06.2025, Accepted-08.06.2025 E-mail : bklodhi@gmail-com

***सारांशः** यह शोध–पत्र भारत की दो प्रमुख विमुक्त और अर्ध–घुमंतू जातियों 'सपेरा और नट' के सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण करता है। इन जातियों को औपनिवेशिक काल में आपराधिक जनजातियाँ (Criminal Tribes) घोषित किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी ये जातियाँ सामाजिक उपेक्षा, प्रशासनिक संदेह और संवैधानिक अस्पष्टता का शिकार बनी रहीं। यह शोध–पत्र इन जातियों की उत्पत्ति, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टताएँ, औपनिवेशिक दमन, तथा स्वतंत्र भारत में विभिन्न आयोगों (Renke, Idate,NITI Aayog) द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा करता है।*

***कुंजीभूत शब्द–** सपेरा, नट, विमुक्त जातियाँ, घुमंतू जनजातियाँ, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सामाजिक बहिष्करण, दमन*

परिचय– भारत में अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो सदियों से लोकसंस्कृति, प्रदर्शन कला, और परंपरागत जीविकाओं से जुड़ी रही हैं। सपेरा और नट जातियाँ इसी प्रकार की परंपरागत घुमंतू जातियाँ हैं जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान "आपराधिक जनजाति" (Criminal Tribes) घोषित किया गया था। आज ये जातियाँ 'विमुक्त' (Denotified), 'अर्ध–घुमंतू' (Semi&Nomadic) या 'घुमंतू' (Nomadic) के रूप में जानी जाती हैं और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रही हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

1. नट जाति का इतिहासः नट शब्द 'नट्य' या 'नर्तक' से आया है। ऐतिहासिक रूप से नट लोककलाओं जैसे रस्सी पर चलना, करतब दिखाना, नाच–गाना आदि में दक्ष रहे हैं। अभी तक कोई एक जातीय स्रोत सुनिश्चित नहीं है, किंतु इन्हें आर्य–पूर्व या मध्यकालीन सैन्य–घुमंतू समुदायों से जोड़ा जाता है। मुग़ल और राजपूत दरबारों में नटों की प्रदर्शन कला की माँग रहती थी।

2. सपेरा जाति का इतिहासः सपेरा जाति विशेष रूप से सर्पों से जुड़े अपने पारंपरिक कार्य जैसे सर्प पकड़ना, सर्प दिखाना और सर्पदंश की चिकित्सा में निपुण रही है। इन्हें "कलंदर", "बेज़ाड़िया", "जोगी" आदि उपनामों से भी जाना जाता है। सापों से जुड़ी इनकी कला और संस्कृति भारत की पुरानी नाग–संस्कृति से जुड़ती है।

औपनिवेशिक दमन और आपराधिक जनजातियाँ– 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कई स्वतंत्र, घुमंतू व विद्रोही जातियों को नियंत्रित करने हेतु 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act] 1871) को लागू किया। सपेरा और नट जातियाँ इस अधिनियम के अंतर्गत 'आनुवंशिक रूप से आपराधिक' घोषित की गईं। इस कानून के कारण इन समुदायों को पुलिस निगरानी में रखा गया, जिससे इनकी सामाजिक पहचान 'अपराधी' के रूप में बन गई।

स्वतंत्र भारत में स्थिति–

1. विमुक्ति और सामाजिक पुनर्वास– 1952 में भारत सरकार ने Criminal Tribes Act को निरस्त कर दिया और इन जातियों को 'विमुक्त जातियाँ' (Denotified Tribes) कहा गया। हालाँकि कानूनी रूप से उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण, पुलिस निगरानी, और जातीय कलंक आज भी बना हुआ है।

2. वर्तमान सामाजिक–आर्थिक स्थिति–

- ज्यादातर सपेरे और नट आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं।
- अनेक जातियॉ झुग्गी–झोपड़ियों या अस्थायी बस्तियों में रहती हैं।
- महिला और बच्चों की शिक्षा दर अत्यंत कम है।
- पुलिस प्रशासन आज भी इन्हें संदेह की दृष्टि से देखता है।

सांस्कृतिक विशेषताएँ–

- नटरू रस्सी पर चलना, करतब दिखाना, बंदर नचाना, कठपुतली चलाना, नृत्य एवं गायन इनमें सामान्य हैं।
- सपेरारू सॉप पकड़ना, बीन बजाकर सॉप नचाना, सर्पदंश की लोकचिकित्सा इनकी परंपरागत आजीविका रही है।

इनकी संस्कृति में लोकभाषा, भिक्षाटन, यात्रा और मुखौटों का भी विशेष स्थान है।

संवैधानिक और विधिक स्थिति–

1. अस्पष्ट पहचानः इन जातियों को अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग वर्गों में रखा गया है कृ कहीं SC] कहीं OBC और कहीं DNT या घुमंतू जाति के रूप में। इससे नीतिगत लाभ बाधित होते हैं।

2 प्रमुख आयोगों की सिफारिशें

(क) रेनके आयोग (2008): भारत सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने विमुक्त जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर गहन अध्ययन कर इन्हें विशेष श्रेणी में मान्यता देने की सिफारिश की।

(ख) इदाते आयोग (2015): पद्मश्री भिकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने जनवरी 2018 में अपनी 20 बिंदुओं वाली रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसमें शामिल थींः

- DNT वर्ग के लिए अलग आयोग
- शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष योजनाए
- चलती स्कूलों और सामुदायिक छात्रावासों की स्थापना
- जातीय कलंक से मुक्ति हेतु जनजागरूकता अभियान

(ग) नीति आयोग उप–समिति (2017–18): इस समिति ने क्छज् के लिए वित्तीय निगम, दस्तावेजीकरण, और पारंपरिक व्यवसायों को समर्थन देने की अनुशंसा की।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

निष्कर्ष– सपेरा और नट जैसी जातियाँ भारत की लोकसंस्कृति और परंपरागत ज्ञान की प्रतिनिधि हैं। किंतु औपनिवेशिक 'अपराधी' ठप्पे और स्वतंत्र भारत में योजनात्मक अस्पष्टता के कारण ये आज भी उपेक्षा की शिकार हैं। इनके सामाजिक पुनर्वास हेतु नीतिगत स्पष्टता, पृथक वर्ग मान्यता और सांस्कृतिक संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Renke Commission Report (2008).
2. Idate Commission Report (2018).
3. NITI Aayog DNT Sub-Committee Report (2018).
4. Satya Shrivastava (2005), Denotified Tribes of India.
5. Anthropological Survey of India Reports.
6. Himanshu Kumar (2020), Invisible India: The Denotified Tribes.
7. राज्य गजेटियरः राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश।
8. लोक साहित्य एवं क्षेत्रीय जातीय अध्ययन।
9. Dr. B. K. Lodhi (2024), Socio-Historical Study of Denotified Tribes of India.

*****